रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2010/पौष 16, 1931

No. 6] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2010/PAUSA 16, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 6(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 67 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 441, 443, 445, 446, 448, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 458क, 460, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 471, 474, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 494, 497, 511, 511क, 512, 514, 515, 517, 518, 519, 528, 529, 529क, 530, 531, 531क, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 558, 559 धारा 560 और धारा 584 के उपबंध, सीमित दायित्व भागीदारी को वहां के सिवाय जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, निम्नलिखित उपांतरणों सहित लागू होंगे :—

उपांतरण

(i) (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपर्युक्त उपबंधों में से किसी में आने वाले "कम्पनी" शब्द के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपर्युक्त उपबंधों में से किसी में आने वाले "अनुच्छेद" शब्द के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी करार" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपर्युक्त उपबंधों (धारा 544 के सिवाय) में से किसी में आने वाले "निदेशक" शब्द के स्थान पर "अभिहित भागीदार" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपर्युक्त उपबंधों में से किसी में आने वाले "संप्रवर्तक" या "सदस्य" या "अभिदायी" शब्द के स्थान पर "भागीदार" शब्द रखा जाएगा;

(ङ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपर्युक्त उपबंधों [धारा 454 की उप-धारा (5क), धारा 482 और धारा 484 के सिवाय] में से किसी में आने वाले "न्यायालय" शब्द के स्थान पर "अधिकरण" शब्द रखा जाएगा । परंतु कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिकरण का गठन होने तक "अधिकरण" शब्द के स्थान पर "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे;

(च) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपर्युक्त उपबंधों में से किसी में आने वाले "यह अधिनियम" शब्दों के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) सारणी में दिए गए उपांतरण ।

स्पष्टीकरण : सीमित दायित्व भागीदारी को कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों को लागू करने के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि—

(क) जहां कम्पनी अधिनियम, 1956 को लागू उपर्युक्त धारा की कोई उप-धारा जो सारणी में विनिर्दिष्ट नहीं है वहां उस धारा की ऐसी उप-धारा, सीमित दायित्व भागीदारी को किसी उपांतरण के बिना लागू है; और

(ख) "सीमित दायित्व भागीदारी समापक" से सीमित दायित्व भागीदारी समापक अभिप्रेत है;

सारणी

सीमित दायित्व भागीदारी को लागू कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों का उपांतरण

क्रम सं0	कंपनी अधिनियम, 1956 में भाग/ अध्याय/धारा सं0/ पार्श्व टिप्पण और उपधारा (ऐं)	उपांतरण
(1)	(2)	(3)
	भाग 7 : परिसमापन : अध्याय 2 : अधिकरण द्वारा परिसमापन	
1.	धारा 441 (न्यायालय द्वारा परिसमापन का प्रारंभ)	
	उपधारा (1) और उपधारा (2)	उपधारा (1) और उपधारा (2) में,- (i) "न्यायालय" शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है, "अधिकरण" शब्द रखें ; और (ii) "कंपनी" शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखें ;
2.	धारा 443 (याचिका सुनवाई पर न्यायालय की शक्तियां)	
	उपधारा (1)	निम्नलिखित के साथ उपधारा (1) का प्रतिस्थापन करें । " (1) परिसमापन याचिका की सुनवाई पर अधिकरण

		याचिका के उपसंजात होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर" (क) इसे खर्चे साहित या खर्चे के बिना खारिज करें (ख) कोई अंतरिम आदेश करें जो वह ठीक समझें ; (ग) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 60 से धारा 62 में यथा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी के पुनर्जीवन या पुनरुद्धार के लिए कार्यवाही का निदेश दें ; (घ) परिसमापन आदेश करने तक किसी " परिसमापक" को सीमित दायित्व भागीदारी का अनंतिम परिसमापक के रूप में नियुक्त करें ; (ङ) खर्चे सहित या खर्चे के बिना सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए कोई आदेश करें । (च) कोई अन्य आदेश या आदेश जो ठीक समझें : परंतु यह कि अधिकरण केवल इस आधार पर कोई परिसमापन आदेश करने से इंकार नहीं करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी की परिसंपत्तियां कुल परिसंपत्तियों के बराबर रकम या उससे अधिक के लिए आडवान की गई हैं या यह कि सीमित दायित्व भागीदारी के पास कोई परिसंपत्ति नहीं है ।"
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में,- (i) "न्यायालय" शब्द के स्थान पर " अधिकरण" शब्द रखें ; और (ii) "कंपनी" शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है, "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखें ;

	उपधारा (3)	उपधारा (3) का लोप करें ;
3.	धारा 445 (परिसमापन आदेश की प्रति का रजिस्ट्रार के यहां फाइल किया जाना)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- " (1) परिसमापन की कार्यवाहियों में अर्जीदार का और सीमित दायित्व भागीदारी का यह कर्तव्य होगा कि परिसमापन का आदेश दिए जाने पर वह आदेश की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार के यहां उस तारीख से पंद्रह दिन के अंदर फाइल कर दे, जो उस आदेश के किए जाने की है । यदि पूर्वगामी उपबंध का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है, तो अर्जीदार अथवा जैसा कि मामले में अपेक्षित हा, सीमित दायित्व भागीदारी और सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार, जो व्यतिक्रम करते हैं, जुर्माने से जो उस अर्जन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है प्रत्येक दिन के दौरान एक हजार रुपए तक का हो सकेगा ,दंडनीय होगा ।"
	उपधारा (1क)	उपधारा (1क) में, " तीस दिन" शब्दों के स्थान पर " पंद्रह दिन" शब्द रखें ।
	उपधारा (2) और उपधारा (3)	उपधारा (2) और उपधारा (3) में, "कंपनी" शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखें " ;
4.	धारा 446(वादों का परिसमापन आदेश होने पर रोक दिया जाना)	
	उपधारा (1) से उपधारा (3)	उपधारा (1) से उपधारा (3),-

		(i)" न्यायालय" शब्द के स्थान पर, जहां जहां वह आता है " अधिकरण" शब्द रखें ; और (ii) "कंपनी" शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखें ; (iii) "शासकीय समापक" शब्द के स्थान पर " समापक" रखें ।"
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में,- (i) खंड (ग) में, " धारा 391" शब्द और अंक के स्थान पर "धारा 60" शब्द और अंक रखें ; और (ii) अंक में आने वाले निम्नलिखित शब्दों और अंकों का लोप करें - " अथवा कंपनीज (अमेंडमेंट) एक्ट, 1960(1960 का 65) के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् "
5.	धारा 448 (शासकीय समापक की नियुक्ति)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- " (1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन करने के प्रयोजन के लिए या अनंतिम समापक की नियुक्ति करने के प्रयोजनों के लिए एक " समापक" होगा वह या तो शासकीय समापक द्वारा या किसी ऐसे समापक द्वारा अधिकरण के किसी आदेश द्वारा ऐसे वृत्तिकों के पैनल से नियुक्त किया जाएगा जैसे फर्म या निगमित निकाय जो ऐसे वृत्तिकों से मिलकर बना है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए उस प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में गठित किया जाएगा जो विहित की जाए । ऐसे किसी आदेश के अभाव में शासकीय समापक हो जाएगा या " समापक " के रूप् में कृत्य करेगा ।"

	उपधारा (1क) और उपधारा (2)	उपधारा (1) और उपधारा (2) को लोप करें ।
6.	धारा 450 (अंतरिम समापक की नियुक्ति और शक्तियां)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- " (1) अधिकरण परिसमापन की अर्जी के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् या परिसमापन का आदेश दिए जाने के पूर्व किसी समय समापक को अनंतिम समापक नियुक्त कर सकेगा ।"
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में,- (i) " न्यायालय" शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है, "अधिकरण" शब्द रखें ; और (ii) "कंपनी" शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखें ;
	उपधारा (3)	उपधारा (3) में, " न्यायालय" शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है, "अधिकरण" शब्द रखें ; और
	उपधारा (4)	उपधारा (4) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- " (4) परिसमापन के आदेश के दिए जाने पर, समापक अनंतिम समापक के रूप में अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा तथा सीमित दायित्व भागीदारी का समापक हो जाएगा ।"
7.	धारा 451(समापकों विषयक साधारण उपबंध)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) में, -

		(i) "न्यायालय" शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है, "अधिकरण" शब्द रखें ; और (ii) "कंपनी" शब्द के स्थान पर, जहां जहां वह आता है "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखें ;
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में, "कंपनी" शब्द के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखें ;
8.	धारा 453 समापक के हाथ में आस्तियों के लिए रिसीवर का नियुक्त न किया जाना	धारा 453 में "न्यायालय" शब्द के स्थान पर "अधिकरण" शब्द रखें ;
9.	धारा 454 (कार्यकलाप के विवरण का शासकीय समापक को किया जाना)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- " (1) (i) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी अधिकरण के पास अपने कार्यकलाप का विवरण ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए परिसमापन के लिए अर्जी के साथ फाइल करेगी ; (ii) जहां सीमित दायित्व भागीदारी उसके परिसमापन के लिए किसी अर्जी का विरोध करती है उसे वह अभिकरण के पास अपने कार्यकलाप के विवरण के साथ ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए ऐसी अवधि के भीतर जो अधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, फाइल करेगी ; (iii) जहां अधिकरण ने परिसमापन आदेश किया है या समापक को अनंतिम समापक के रूप में नियुक्त किया है, जब तक कि अधिकरण अपने स्वविवेक से अन्यथा आदेश न दे तब तक सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलाप के विवरण समापक को ऐसे प्ररूप में

		और ऐसे विशिष्टियों से युक्त जो विहित की जाएं, किए जाएंगे और प्रस्तुत किए जाएंगे ; (iv) सीमित दायित्व भागीदारी के वे अभिहित भागीदार और अन्य अधिकारी जिनकी बाबत परिसमापन के लिए अर्जी की गई है , यह सुनिश्चित करेंगे कि सीमित दायित्व भागीदारी के लेखे आदेश की तारीख तक सीमित दायित्व भागीदारी नियम 2009 के अनुसार पूर्ण हैं और संपरीक्षित हैं तथा परिसमापन आदेश की समाप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो अभिकरण द्वारा अनुज्ञात की जाए सीमित दायित्व भागीदारी के खर्चे पर अधिकरण को प्रस्तुत कर दिए हैं।
	उपधारा (2) और उपधारा (4)	उपधारा (2) और उपधारा (4) का लोप करें ।
	उपधारा (3)	उपधारा (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- " (3) उपधारा (1) के खंड (iii) के अधीन वह कथन सुसंगत तारीख से इक्कीस दिन के अंदर या उस तारीख से दो मास से अनधिक इतने बढ़ाए गए समय के अंदर, (जिसके अंतर्गत इक्कीस दिन की अवधि भी है), जितना समापक या अनंतिम समापक या अधिकरण विशेष कारणों से नियत करें, भेजा जाएगा"
	उपधारा (5क)	उपधारा (5क) में, "जिसने परिसमापक आदेश किया या अनंतिम समापक नियुक्त किया है" शब्दों के स्थान पर, जिसको इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता-है " शब्द रखे।
	उपधारा (6)	उपधारा (6) में, (i)"कंपनी" शब्द के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखें ; (ii) अभिदायी शब्द के स्थान पर "भागीदार" शब्द रखें

		;
	उपधारा (7)	उपधारा (7) में,- (i) "अभिदायी" शब्द के स्थान पर "भागीदार" शब्द रखें; और (ii) "शासकीय समापक" शब्दों के स्थान पर "समापक " शब्द रखें और ;
10.	धारा 455(शासकीय समापक द्वारा रिपोर्ट)	
	उपधारा (1)	उपधारा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें :- (1) जहां अधिकरण ने परिसमापन आदेश किया है , वहां समापक परिसमापन आदेश से साठ दिन के भीतर अधिकरण को ऐसी विशिष्टियों से युक्त जो विहित की जाएं एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।"
	उपधारा (2)	उपधारा (2) में,- (i) "शासकीय समापक" शब्दों के स्थान पर "समापक" शब्द रखें ; (ii)"कंपनी" शब्द के स्थान पर, जहां जहां वह आता है, "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द रखें ; और (iii) न्यायालय शब्द के स्थान पर "अधिकरण" शब्द रखें ।"
	उपधारा (3)	उपधारा (3) में,- (i) " शासकीय समापक" शब्दों के स्थान पर "समापक" शब्द रखें ; (ii) न्यायालय शब्द के स्थान पर "अधिकरण" शब्द रखें ।"